

न्यायालय महेन्द्र मिश्रा, अवर न्यायाधीश-द्वितीय, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0-226/2013

रेयाज अहमद अंसारी.....वादी
बनाम
महादेव शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
23.06.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी नहीं है। वाद पुकार पर न तो स्वयं वादी के विद्वान अधिवक्ता और न ही प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद, वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी दिनांक 05.09.2022 से लगातार कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं। आज दिनांक 23.06.2026 को भी वादी की ओर से कोई पैरवी नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को अपने वाद में कोई रुची नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद आदेश 09 नियम 03 के अन्तर्गत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा करायें। लेखापित अवर न्यायाधीश-द्वितीय नरकटियागंज	